

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 3/4/ID/2014/SDR(Bye-LA)

Dated: 4<sup>th</sup> August, 2014

To,

The Chief Electoral Officers of

1. Bihar
2. Karnataka
3. Madhya Pradesh
4. Punjab

Subject:- Bye-elections to the State Legislative Assemblies of Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh & Punjab, 2014 – Commission's order regarding identification of electors.

Sir,

I am directed to enclose herewith Commission's Order dated 4<sup>th</sup> August, 2014, regarding identification of electors at the current bye-elections to the State Legislative Assemblies of Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh & Punjab notified on 26-07-2014(Saturday) from **3-Narkatiaganj, 37-Rajnagar(SC), 87-Jale, 118-Chapra,123-Hajipur, 137-Mohiuddinnagar, 151-Parbatta, 156-Bhagalpur, 161-Banka and 204-Mohania(SC) Assembly Constituencies in Bihar, 2-Chikkodi-Sadalga, 93-Bellary(ST) and 115-Shikaripura in Karnataka, 92-Vijayraghavgarh, 94-Bahoriband and 166-Agar(SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and 94-Talwandi Sabo & 115-Patiala Assembly Constituencies in Punjab.**

2. The Commission has directed that all electors in **3-Narkatiaganj, 37-Rajnagar(SC), 87-Jale, 118-Chapra, 123-Hajipur, 137-Mohiuddinnagar, 151-Parbatta, 156-Bhagalpur, 161-Banka and 204-Mohania(SC) Assembly Constituencies in Bihar, 2-Chikkodi-Sadalga, 93-Bellary(ST) and 115-Shikaripura in Karnataka, 92-Vijayraghavgarh, 94-Bahoriband and 166-Agar(SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and 94-Talwandi Sabo & 115-Patiala Assembly Constituencies in Punjab**, who have been issued EPIC have to produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the alternative photo identity documents mentioned in paragraph 8 of the Order for establishing their identity.

3. In the case of EPIC, minor discrepancies in the entries therein should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Elector Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly

Constituency, such card shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 of the Order.

4. The overseas electors shall have to produce their original passport only for identification.
5. The Order may be brought to the notice of the Returning Officers and all Presiding Officers concerned. A copy of the Order translated in the vernacular language should be supplied to each of the Presiding Officers.
6. The Commission's Order dated 4<sup>th</sup> August 2014, may be got published in the State Gazette immediately. This Order may be given wide publicity through print/electronic media for information of the general public and electors. All contesting candidates at the said bye-elections may also be informed, in writing, of this direction of the Commission.
7. Please note that in column (3) of Form 17A (Register of Voters) the last four digits of the Identification document should be mentioned. In the case of electors voting on the basis of the EPIC and Authenticated Photo voter Slip, it is sufficient that the letters 'EP' (denoting EPIC) and 'VS' (denoting photo voter slip), respectively, is mentioned in the relevant column, and it is not necessary to write down the number of the EPIC or the Photo Voter Slip. However, in the case of those who vote on the basis of any alternative documents, the instructions to note down the last four digits of the document shall continue to apply. The type of the document produced should also be mentioned therein.
8. The Returning Officers shall be instructed to note the implications of this Order and explain the contents thereof to all Presiding Officers through special briefings. They should also ensure that a copy of this letter is available with the Presiding Officers at all polling stations/booths in the constituency.
9. Kindly acknowledge receipt and confirm action taken.

Yours faithfully,



(N.T. Bhutia)

Under Secretary

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 3/4/आई.डी./2014/एसडीआर(उप-निर्वाचन-वि.स.)

दिनांक- 4 अगस्त, 2014

## आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा
2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) तथा 49ट(2)(ख) में यह निर्दिष्ट है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

6. यतः, बिहार राज्य में पंजीकृत निर्वाचकों में से लगभग 90.60%, कर्नाटक राज्य में पंजीकृत निर्वाचकों में से 99.25% तथा मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्यों में पंजीकृत 100% निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं,
7. यतः, आयोग ने यह आदेश दिया है कि 26-07-2014 को अधिसूचित बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्यों की राज्य विधान सभाओं के वर्तमान उप-निर्वाचनों की निर्वाचन तिथि से पूर्व मतदाताओं को "प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची" बांटी जाएगी,
8. अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि 26-07-2014 को अधिसूचित बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा पंजाब की राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-
  - I. पासपोर्ट
  - II. डाइविंग लाइसेंस
  - III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  - IV. बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
  - V. पैन कार्ड
  - VI. आधार कार्ड
  - VII. आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
  - VIII. मनरेगा जॉब कार्ड
  - IX. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  - X. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, एवं
  - XI. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची
9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह

